स्नेहा की आचार संहिता

स्नेहा के प्रिय कर्मचारी और सलाहकारों,

एक संस्था के तौर पर स्नेहा और उसके कर्मचारी के वर्तन जिन मूल्यों और तत्वों के आधार पर नियंत्रित होता है, उन्हे स्नेहा आचार संहिता के रूप में निर्धारित किया जा रहा है| व्यक्तिगत और व्यावसायिक वर्तन में उनसे जिन मूल्य, नैतिक और कार्य करने के तत्वों की अपेक्षा हैं, उनको ले कर यह संहिता हर कर्मचारी के लिए एक मार्गदर्शिका का कार्य करेगी, ऐसी अपेक्षा है|

मेरा हर कर्मचारी से अनुरोध है कि वे इस आचार संहिता डॉक्युमेंट को पढ़े और पीछले 20 वर्षों में जिस प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ स्नेहा कार्य कर रही है, उन व्यावसायिक और व्यक्तिगत वर्तन के उच्च मानकों को अभिमान के साथ आगे भी बनाए रखे|

यह ईमेल प्राप्त होने के 7 दिनों में इस आचार संहिता का अन्तिम पृष्ठ (अनुबन्ध A) पर हस्ताक्षर कर उसे आपको एचआर को लौटाना है|

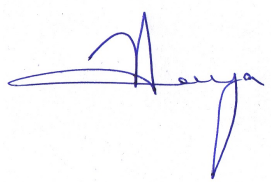

वनेसा डिसूझा

सीईओ

दिनांक: 2 December 2020

आचार संहिता क्या होती है:

आचार संहिता संस्था की वे नीतियाँ और नियम होते हैं जिनका पालन करने की अपेक्षा सभी कर्मचारी और सलाहकारों से होती है| स्नेहा के मिशन और मूल्यों को दर्शाते हुए कार्य स्थानों में और समुदायों में लोगों ने किस उचित तरीके से वर्तन करना चाहिए, इसकी वह मार्गदर्शिका होती है| बाह्य स्टेकहोल्डर्स के साथ कार्य करते समय कर्मचारी/ सलाहकारों से किस वर्तन की उम्मीद है, यह भी उसमें सम्मीलित है|

अगर आप इस आचार संहिता का पालन नही करते हैं, तो आप आपकी संस्था, आपके सहयोगी और बाह्य स्टेकहोल्डर्स को जोखीम में डाल रहे होंगे और वह स्नेहा से जुड़े हर व्यक्ति के लिए हानिकारक होगा|

आचार संहिता क्यों महत्त्वपूर्ण होती है?

कार्य के स्थान पर और जिन समुदायों में हम सेवा देते हैं, वहाँ पर हर कोई सहजता से काम कर सके, इसकी सुनिश्चिति के लिए संस्थाएँ आचार संहिताएँ बनाती हैं| जब कर्मचारी एक दूसरे को और अन्य बाहर के स्टेकहोल्डर्स के साथ सम्मान और निष्ठा के साथ वर्तन करते हैं, तो वे संघर्ष टाल सकते हैं और साथ मिल कर अच्छे से कार्य कर सकते हैं|

- **स्नेहा के मूल्यों का अंगीकार:** जब संस्था की आचार संहिता वेबसाईट पर दी हुई होती है, तब संस्था में उत्सुक लोग जैसे जॉब के संभाव्य आवेदक, वेंडर्स या अन्य स्टेकहोल्डर्स संस्था का नीतिशास्त्र, मूल्य और नैतिक पृष्ठभूमि के बारे में जान सकते हैं| उन मूल्यों को दर्शानेवाले स्नेहा के मूल्य और वर्तन की स्पष्ट व्याख्या की गई है और सभी कर्मचारी/ सलाहकारों से उनके हर रोज के कार्य में स्नेहा के मूल्यों के अंगीकार और अनुपालन की अपेक्षा है|

- **वर्तन के लिए मार्गदर्शक निर्देश देना:** नियम और अपेक्षाओं के स्पष्ट निर्धारण से कर्मचारी/ सलाहकारों को यह समझना आसान होता है कि कार्य के लिए उचित वर्तन

क्या होगा| इस तरह से वे उनके सहयोगियों के साथ बेहतर सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं|

- **कानून के दायरे में काम करना:** आचार संहिता में स्थानीय/ राज्य/ राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का अनुपालन तथा "सर्वोत्तम विधियों" का समावेश होता हैं जिनके पालन की अपेक्षा सभी कर्मचारी/ सलाहकारों से होती है|

- **कर्मचारी के नीतिधैर्य को बढ़ाना:** जब कर्मचारी एक दूसरे को आदर देते हैं, तो हर एक कार्य के स्थान पर अधिक सुरक्षित और सन्तुष्ट महसूस करते हैं| इससे संस्था अधिक कर्मचारियों को बनाए रख सकती हैं और आकर्षित कर सकती हैं|

- **कर्मचारी सफलता का मूल्यमापन:** जब आचार संहिता उपलब्ध होती है, तब संस्थाएँ उनके कर्मचारियों की सफलता का बेहतर मूल्यमापन कर सकती हैं| उनकी नीतियों में एम्प्लॉयर्स को कार्य के स्थान के सभी नियमों पर चर्चा करनी चाहिए| अगर उन्हे पता चलता है कि कोई कर्मचारी आचार संहिता के नियमों का पालन नही कर रहा है, तो उस कर्मचारी को ठीक क्या सुधार करने की आवश्यकता है, यह वह संस्था बता सकती है|

एचआर नीति, सूचना प्रबन्धन (आईएम) नीति, एमअँडई नीति, अनुसंधान नीति, वित्त नीति, कार्य स्थान पर यौन शोषण के प्रतिबन्ध के लिए नीति, विक्रय नीति आदि कई अन्तर्गत नीतियाँ स्नेहा के पास है और हर एक में जो नियम और नियंत्रण निर्देश होते हैं, वे स्नेहा के सभी कर्मचारी/ सलाहकारों के वर्तन को नियमित करते हैं|

इन नीतियों के अलावा इन सब में शायद जो सम्मीलित नही हुए हो ऐसे कुछ घटकों के समावेश के लिए स्नेहा आचार संहिता गठित करना चाहती है| यह आचार संहिता अनुपालन करने योग्य सभी नीतियों का यह जोड़ नही है और इन सभी स्नेहा नीतियों के साथ इसका भी अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए|

आचार संहिता का अनुपालन:

स्नेहा के सभी कर्मचारी और सलाहकारों से स्नेहा की आचार संहिता के अनुपालन की अपेक्षा है| स्नेहा की आचार संहिता का पालन न करने से अनुशासन कारवाई की जा सकती है और सेवा खण्डित भी की जा सकती है|

समय समय पर इस आचार संहिता में सुधार किए जा सकते हैं और जो परिवर्तन किए जाएंगे, वे अधिकृत रूप से सभी कर्मचारी/ सलाहकारों को सूचित किए जाएंगे और वे उसे पढ़ेंगे और उसका पालन करेंगे, ऐसी अपेक्षा उनसे की जाएगी|

स्नेहा की आचार संहिता में निम्न पहलूओं का समावेश है:

विधान: 1

समुदाय का हित

जिन समुदायों में स्नेहा कार्य करती है, वहाँ की महिलाएँ, बच्चे और परिवारों का स्वास्थ्य और सुरक्षितता के प्रति स्नेहा प्रतिबद्ध है| स्नेहा ऐसी कौनसी भी गतिविधि या परियोजना नही करेगी जो उस क्षेत्र के समुदायों के व्यापक हितों के लिए हानीकारक होती हो|

जहाँ तक सम्भव हो और करने योग्य हो, स्नेहा की प्रबन्धन पद्धतियों का लाभ उसके कार्य के क्षेत्र की महिलाएँ, बच्चे, परिवार, बस्तियाँ और समुदायों को मिलेगा और वह देश के कानूनों के पालन के साथ होगा|

अपने समुदाय और संचालन के कार्यों के दौरान स्नेहा उसके कार्य क्षेत्र के समुदायों की संस्कृति, रिवाज़ और प्रथाओं का सम्मान करेगी| सरकारी

प्रक्रियाओं का वह अनुपालन करेगी जिसमें लागू होनेवाली लायसन्सिंग़, डॉक्युमेंटेशन और अन्य आवश्यक औपचारिकताएँ होंगी|

विधान:2

नीतियों का अनुपालन- आर्थिक और गैर- आर्थिक:

स्नेहा को कई तरह के डोनर्स से निधि मिलता है और उच्च स्तर के वर्तन को दर्शाते हुए तथा डोनर्स की अपेक्षाएँ और सहमति करार, प्रचलित कानून और नियम तथा अन्य कोई संचालन तत्त्वों के आधार पर सर्वोच्च स्तर के व्यक्तिगत प्रमाणिकता के साथ इन निधियों के उचित उपयोग की अपेक्षा स्नेहा से होती है| स्नेहा के हर कर्मचारी और सलाहकार से नैतिक विधियों के सर्वोच्च मानकों के अनुपालन की और स्नेहा की उच्च प्रतिष्ठा को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है| उनके द्वारा स्नेहा के सभी मार्गदर्शक नियम एवम् निम्न कुछ नीतियों सहित अन्य नीतियों के पालन की भी अपेक्षा है| इनमें विक्रय नीति, प्रशासन नीति, निगरानी एवम् मूल्यमापन और अनुसंधान नीति, कार्य स्थान पर यौन शोषण के प्रतिबन्ध की नीति (पीओएसएच), सूचना प्रबन्धन नीति और ऐसी अन्य नीतियाँ और मार्गदर्शक नियम हैं जो समय समय पर लागू किए जा सकेंगे है|

विधान 3:

वित्त और अकाउंटिंग:

स्नेहा अपने अकाउंटस को अकाउंटिंग और आर्थिक सूचना के मानकों के पालन के साथ उचित और निर्दोष रूप से बनाएगी और उसका रखरखाव करेगी और इन मानकों में संस्था जहाँ कार्य करती है, उस देश के सामान्य रूप से स्वीकृत मार्गदर्शक तत्त्व, निर्देश, मानक, कानून और नियंत्रण करनेवाले पहलूओं का अन्तर्भाव होगा|

अन्दरूनी अकाउंटिंग और ऑडिट प्रक्रियाओं में उचित और निर्दोष तरीके से संस्था के सभी व्यवहार और साधनों के उपयोग को दर्शाया जाएगा और उनमें अन्दरूनी नियंत्रणों से संस्था के बोर्ड और डोनर्स को आश्वस्त किया जाएगा कि व्यवहार उचित और कानूनन होते हैं| आवश्यक सभी जानकारी अनिवार्य ऑडिटर्स और डोनर्स के ऑडिटर्स को तथा अन्य अधिकारीक कर्मचारी, पक्ष और सरकारी एजन्सीज को उपलब्ध रहेगी| बूक्स और रेकॉर्ड में संस्था के व्यवहारों को जानबुझ कर हटाया या छिपाया नही जाएगा, आनेवाले इन्कम को पहले मान्य नही किया जाएगा और कोई छुपा बँक खाता और निधी नही होगा|

आर्थिक अकाउंटस और रिपोर्टस को ले कर जानबुझ कर कोई गलत जानकारी या गलत तथ्यो को प्रस्तुत करना इस आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और उसके साथ ऐसा होने पर सम्बन्धित कानूनो के अनुसार उचित दीवानी या आपराधिक कानूनन कारवाई भी की जाएगी| कोई भी कर्मचारी किसी भी तरह के अनुचित पेमेंट, अवैध राशि प्राप्त करना या रिश्वत देने जैसे कृत्यों में सहभागी नही होगा, उसे प्रमाणित नही करेगा, उसे प्रोत्साहन नही देगा और ऐसी साजिश भी नही करेगा|

विधान:4

समान अवसर रोजगार प्रदाता

स्नेहा अपने सभी कर्मचारी और सभी पात्र आवेदकों को रोजगार के समान अवसर प्रदान करेगी और उनका वंश, जाति, धर्म, रंग, पूर्वज, वैवाहिक स्थिति, जेंडर, यौन पृष्ठभूमि (सेक्सुअल ओरिएंटेशन), उम्र या विकलांग़ता के आधार पर भेद नही किया जाएगा|

समुदायों में महिला और बच्चों के मुद्दों पर काम करनेवाली संस्थ होने के नाते स्नेहा संस्था में महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देगी| मानव संसाधन नीतियों

में कार्य के स्थान पर समानता को बढावा दिया जाएगा तथा स्थानीय श्रमिक कानूनों का पालन किया जाएगा और उसके साथ सर्वोत्तम विधियों का अंगीकार करने के लिए प्रोत्साहन भी दिया जाएगा|

संस्था के "कार्य के स्थान पर यौन शोषण के प्रतिबन्ध नीति" के अनुसार और शारीरिक, शाब्दिक या मानसिक ऐसे सभी तरह के यौन शोषण से कार्य स्थान को मुक्त रखने की दृष्टि के साथ स्नेहा के कर्मचारियों को सम्मान दिया जाएगा| लागू होनेवाले कानून और इस आचार संहिता के अन्य प्रावधानों के अनुसार उचित तरह से कर्मचारी नीतियाँ और कार्य विधियों पर क्रियान्वयन किया जाएगा और उसमें निजता का अधिकार एवम् सुने जाने का अधिकार भी शामील होगा| सभी मामलों में पात्र व्यक्तियों को समान अवसर दिए जाएंगे और निर्णय गुणवत्ता के आधार पर ही लिए जाएंगे

उसके अलावा स्नेहा अपनी ग्रीवन्स नीति के तहत अपने कर्मचारी और सलाहकारों के लिए सक्षम करनेवाला वातावरण बनाना चाहती है जिसमें कार्य के स्थान पर होनेवाले सभी तरह के सम्भव शोषण की जानकारी दी जा सकेगी और उनको ले कर उचित तरह से कारवाई की जा सकेगी|

विधान:5

रिश्वत/ उपहार/ डोनेशन्स

एक संस्था होने के नाते स्नेहा और उसके कर्मचारी कभी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी अवैध राशि, भुगतान, उपहार, डोनेशन्स या उनके समान अन्य समान तरह के ऐसे लाभ नही लेंगे और नही देंगे जो उनके कार्य और गतिविधियों के संचालन के लिए अवांछित लाभ देते हो या ऐसा माना जाता हो| सभी तरह का भ्रष्टाचार, रिश्वत और गलत आर्थिक व्यवहार को दूर करने के सरकारी प्रणालियों के और/ या अन्य आधिकारिक एजन्सीज के प्रयासों के साथ स्नेहा का प्रबन्धन सहयोग करेगा|

सभी कर्मचारी और सलाहकारों से स्नेहा की उपहार नीति (गिफ्ट पॉलिसी) के अनुपालन की अपेक्षा है|

विधान:6

सरकारी एजन्सीज

स्नेहा और उसके कर्मचारी लागू कानूनों के अनुसार आवश्यक होने की स्थिति या स्नेहा के द्वारा किसी प्रोजेक्ट में आवश्यक होने की स्थिति को छोड़ कर

कभी भी किसी भी सरकारी एजन्सी से अधिकारीक दायित्व के कार्य में अनुकूल राय प्राप्त करने के लिए ऐसी एजन्सी को या उसके प्रतिनिधि को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मध्यस्थ व्यक्तियों के द्वारा संस्था का कोई निधि या संसाधन डोनेशन के तौर पर नही देगा|

विधान:7

राजनीतिक निष्पक्षता

स्नेहा जिस देश में कार्य करती है, उस देश के संविधान और प्रशासन प्रणालियों के प्रति वह प्रतिबद्ध होगी और उन्हे सहायता करेगी|

स्नेहा किसी राजनीतिक पद के लिए कोई विशिष्ट राजनीतिक पक्ष या उम्मीदवार को समर्थन नही देगी| संस्था की संहिता में ऐसी गतिविधि का प्रतिबन्ध किया जाएगा जो किसी राजनीतिक संस्था या व्यक्ति के साथ पारस्पारिक निर्भरता/ लाभ से जुड़ी गतिविधि मानी जा सकेगी और स्नेहा किसी राजनीतिक पक्ष, उम्मीदवार या अभियान के लिए कोई निधि या संपदा या डोनेशन्स नही देगी और देने का प्रस्ताव नही देगी|

विधान:8

स्वास्थ्य, सुरक्षा एवम् पर्यावरण

हमारे संसाधनों में उपलब्ध होने के अनुसार स्नेहा अपने कर्मचारियों को सुरक्षित, स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी| वह संसाधनों के अनावश्यक इस्तेमाल को टालने का प्रयास करेगी|

विधान:9

मुनाफे से दूर रहने के प्रति प्रतिबद्धता (नॉन प्रॉफिट सिटीझनशिप)

मुनाफे से दूर रह कर अच्छे नागरिक होने के प्रति स्नेहा प्रतिबद्ध रहेगी और सिर्फ सभी सम्बन्धित कानूनों और नियमों का पालन ही नही करेगी, पर उसके साथ वह जिन समुदायों में कार्य करती है, वहाँ के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु सक्रिय रूप से सहायता भी करेगी| समुदाय के समूहों के साथ स्वयंसेवा (वालंटीअरिंग) और सहयोग को स्नेहा प्रोत्साहन देगी|

अपनी विजन साध्य करने के लिए कूटनीतिक दिशा के निर्धारण और समीक्षा के लिए स्नेहा समय समय पर विशिष्ट प्रक्रियाएँ विकसित करेगी और प्रबन्धन द्वारा समीक्षाएँ करेगी|

विधान:10

अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग

निजी/ सार्वजनिक क्षेत्र में जहाँ ठीक लगे वहा स्नेहा अन्य नॉन- प्रॉफिट संस्थाओं के साथ भागीदारी करेगी जिसमें गोपनीयता के आधार पर उसकी नीतियाँ/ कार्य विधियों के अनुपालन के साथ जानकारी साझा करना, सूचनाएँ, संसाधन, संपर्क सामग्री आदि साझा करना आदि का समावेश होगा|

विधान:11

सार्वजनिक प्रतिनिधित्व

जनता और उसके स्टेकहोल्डर्स की जानकारी की आवश्यकताओं का सम्मान स्नेहा करती है| सभी प्रकार में लोगों के सामने आ कर संस्था की जानकारी जाहीर करने के सम्बन्ध में और मीडिया (सोशल मीडिया सहित), कर्मचारी,

डोनर्स, वेंडर्स जैसे सार्वजनिक माध्यमों को उसकी गतिविधियों की जानकारी देने के सम्बन्ध में संस्था का प्रतिनिधित्व विशेष रूप से निर्धारित अधिकारीक स्नेहा कर्मचारी या ट्रस्टी बोर्ड के सदस्यों के द्वारा ही किया जाएगा| संस्था और उसकी गतिविधियों के बारे में स्नेहा की नीतियाँ और मार्गदर्शक तत्त्वों के आधार पर जानकारी देना यह सिर्फ इन्ही आधिकारिक प्रतिनिधियों का ही दायित्व होगा|

विधान:12

तिसरे पक्ष का प्रतिनिधित्व

स्नेहा के साथ सम्बन्ध होनेवाले ऐसे पक्ष जो स्नेहा के कर्मचारी या सलाहकार नही होते हैं- जैसे एजंटस, समुदाय या सार्वजनिक प्रणाली के भागीदार, फंडर्स/ डोनर्स, कॉंट्रॅक्टर्स, व्हेंडर्स और सप्लायर्स- ये स्नेहा के प्रबन्धन की लिखित अनुमति के बिना स्नेहा का प्रतिनिधित्व करने के लिए पात्र नही होंगे और/ या अगर उनका व्यावसायिक वर्तन और नैतिक वर्तन इस आचार संहिता के अनुकूल नही होता हो तो वह ऐसे प्रतिनिधित्व के लिए पात्र नही होंगे|

स्नेहा के साथ के कार्य में और स्नेहा की ओर से वे जो कार्य करते होंगे, उसको ले कर इन तिसरे पक्ष और उनके कर्मचारियों से इस आचार संहिता के अनुपालन की अपेक्षा है| **जहाँ आवश्यक लगेगा वहाँ जानकारी की गोपनीयता के**

लिए स्नेहा तिसरे पक्षों के साथ जानकारी उजागर न करने के करार (नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमंटस) पर अमल करेगा|

विधान:13

स्नेहा के ब्रँड का इस्तेमाल

स्नेहा के प्रबन्धन से विशिष्ट लिखित अनुमति के बिना कोई कर्मचारी/ सलाहकार/ तिसरा पक्ष स्नेहा के लोगो और/ या नाम का इस्तेमाल अपने हित के लिए नही करेगा|

विधान:14

डोनर्स

संस्था की गतिविधियो से जुड़ी आवश्यक जानकारी स्नेहा का प्रबन्धन उचित और सही तरीके से अपने डोनर्स को देगा और सम्बन्धित नियम और करारों के तहत आवश्यक विशेष महत्त्वपूर्ण जानकारी साझा करेगा|

विधान:15

नैतिक आचार

स्नेहा का हर कर्मचारी और सलाहकार स्नेहा की ओर से सांस्कृतिक दृष्टी से योग्य वर्तन करेगा और स्नेहा की ओर से व्यावसायिकता, प्रमाणिकता और सच्चे मन से वर्तन करेगा और उच्च नैतिक और आदर्श मानकों का पालन करेगा| यह वर्तन उचित और पारदर्शी होगा और तिसरे पक्ष भी उसे इसी तरह देखेंगे|

स्नेहा का हर कर्मचारी/ सलाहकार हर व्यक्ति के मानव अधिकारों की रक्षा करेगा और प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने के लिए प्रयासरत रहेगा| इस आचार संहिता के क्रियान्वयन और अनुपालन के लिए उनके स्थान पर हर कर्मचारी/ सलाहकार जिम्मेदार रहेगा| इस आचार संहिता के अनुपालन में असमर्थ होने पर कारवाई की जा सकेगी और सेवा भी खण्डित की जा सकेगी|

विधान:16

नियमों का अनुपालन

स्नेहा के कर्मचारी/ सलाहकार उनके व्यावसायिक वर्तन में सभी लागू कानून और नियमों का अनुपालन पूरी तरह और सच्चाई से करेंगे| अगर लागू कानून

और आवश्यक नियम के नैतिक और व्यावसायिक मानक इस आचार संहिता से नीचले स्तर पर पाए जाते हो, तो इस आचार संहिता के मानकों का पालन उनके स्थान पर किया जाएगा|

स्नेहा के वरिष्ठ प्रबन्धन (सीईओ, कार्यकारी निदेशक, निदेशक, सहायक निदेशक) सहित सभी स्तर के कर्मचारी और सलाहकार सभी सम्बन्धित नियंत्रक और अन्य प्रणालियों के लागू कानून और नियमों का पालन करेंगे| अच्छे प्रशासन की पद्धति के अनुसार वे उनके स्थान के कारण उन्हे प्राप्त होनेवाली सभी जानकारी की गोपनीयता की रक्षा करेंगे|

विधान:17

समान्तर सेवा

लागू कानूनों के पालन के साथ स्नेहा का कर्मचारी आवश्यक न होने पर और प्रबन्धन की लिखित मान्यता के बिना अन्य संस्था में कोई नौकरी या दायित्व का पद (जैसे सलाहकार या निदेशक) प्राप्त नही करेगा या अन्य किसी को वेतन ले कर फ्रीलान्स सेवा नही प्रदान करेगा| पूर्ण कालीन निदेशक या सीईओ के

सम्बन्ध में, ऐसी मान्यता ट्रस्टीज के बोर्ड से ही अनिवार्य रूप से प्राप्त की जानी चाहिए|

विधान:18

हितों का संघर्ष

स्नेहा का कर्मचारी या सलाहकार हमेशा स्नेहा के हित में कार्य करेगा और उसका अन्य कोई व्यावसायिक या व्यक्तिगत नाता/ सम्बन्ध होने के कारण उसके स्नेहा के कार्य में/ उसकी स्नेहा में होनेवाली भुमिका में कोई हितों का संघर्ष या टकराव नही आएगा, इसकी पुष्टि करेगा|

स्नेहा के कर्मचारी होने के नाते वह अन्य नॉन- प्रॉफिट संस्था, निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था में प्रबन्धन की विशेष मान्यता के बिना कोई भी जिम्मेदारी का पद प्राप्त नही करेगा|

यह निम्न के लिए लागू नही होगा (वेतन लेने के सम्बन्ध में या अन्यथा):

a) शैक्षणिक संस्थाओं में सदस्यता/ दायित्व के पद जहाँ ऐसे सम्बन्ध से कर्मचारी/ स्नेहा को लाभ मिलेगा|

b) सरकारी समिति/ संस्था या प्रणालियों में नाम निर्देशन/ सदस्यता|

c) पीओएसएच समितियों में "बाह्य सदस्य" के तौर पर सदस्यता जो स्नेहा की पीओएसएच नीति के अनुपालन पर निर्धारित होगी|

d) पात्र ओथोरिटी द्वारा निर्धारित अपवाद की स्थिति|

सभी कर्मचारी/ सलाहकारों के सम्बन्ध में पात्र ओथोरिटी सीईओ रहेंगे और वे ऐसे अपवाद की स्थिति की सूचना हर तीन महिनों में ट्रस्टी बोर्ड को देंगे| सीईओ और निदेशकों के सम्बन्ध में ट्रस्टी बोर्ड पात्र ओथोरिटी होगा|

स्नेहा का कर्मचारी/ सलाहकार ऐसे किसी बिजनेस, सम्बन्ध या गतिविधि में सहभागी नही होगा जो स्नेहा के हित के खिलाफ जा सकती हो| जहाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह होता हो, वहाँ वास्तविक या संभाव्य हितों का टकराव हो सकता है-:

a) स्नेहा का कर्मचारी/ सलाहकार ऐसे किसी बिजनेस में या किसी सम्बन्ध में या गतिविधि में जुड़ता है जो स्नेहा के व्यवहार में किसी पक्ष में हो सकता है|

b) कर्मचारी/ सलाहकार ऐसी स्थिति में होता है जो किसी व्यवहार से जुड़े निर्णयों को ले कर या उन्हे प्रभावित कर खुदको या अपने रिश्तेदारों को अनुचित ढंग से लाभ प्राप्त करवा सकता हो|

c) संस्था के सर्वोत्तम हित में स्वतंत्र निर्णय लागू करना सम्भव नही होता है|

हितों के टकराव के वास्तविक या संभाव्य मामलों में निम्न का समावेश होता है:

a) स्नेहा का कर्मचारी/ सलाहकार स्नेहा की ओर से निर्णय लेता हो या पद पर होने के कारण संस्था के किसी के साथ ऐसे निर्णय को प्रभावित करता हो जिसमें संलग्न सप्लायर या वेंडर संस्था में उसका रिश्तेदार मुख्य अधिकारी या प्रतिनिधि होता हो और उस कर्मचारी के निर्णय से या प्रभाव से उसे या उसके रिश्तेदार को लाभ मिलता हो|

b) स्नेहा के कर्मचारी/ सलाहकार के रिश्तेदार के वेतन में वृद्धि या अतिरिक्त वेतन, प्रमोशन देना या नई नोकरी दिलवाना इस तरह के लाभ जहाँ ऐसा व्यक्ति ऐसे लाभों के कारण इन निर्णयों को प्रभावित कर सकता हो|

c) स्नेहा के हितों के साथ समझौता किया जा सकता हो या उन्हे ठुकराया जा सकता हो|

पृष्ठभूमि के कारणों से जब इस तरह के या अन्य हितों के संघर्ष के मामले सामने आते हो, तो ऐसे हित होनेवाले कर्मचारी/ सलाहकारों द्वारा पर्याप्त और पूर्ण जानकारी स्नेहा के प्रबन्धन के साथ साझा की जाएगी| सप्लायर, कॉंट्रॅक्टर या डिस्ट्रिब्युटर होनेवाली कंपनी या फर्म या बिजनेस में या स्नेहा के साथ काम करनेवाली अन्य कंपनी में करीबी परिवार जिसमें पालक, पति/ पत्नी और बच्चे शामील होते हैं तो ऐसे हर कर्मचारी को उसके हित के संघर्ष के बारे में पूरी जानकारी साझा करना भी आवश्यक रहेगा|

ऐसे मामले में निर्णय लेने के बाद, सम्बन्धित कर्मचारी को इस हित- संघर्ष को टालने के लिए/ सुलझाने के लिए आवश्यक कदम उठाना पड़ेगा| अगर कोई कर्मचारी आवश्यक जानकारी देने में असफल होता है और प्रबन्धन अपने से

ऐसे हितों के संघर्ष के बारे में जानकारी प्राप्त होती है जो उस कर्मचारी ने बताना आवश्यक था, तो प्रबन्धन उस विषय पर गम्भीरतापूर्वक गौर करेगा और उस कर्मचारी के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कारवाई पर विचार करेगा और उसमें सेवा खण्डित करना भी हो सकेगा|

विधान:19

गोपनीय जानकारी

स्नेहा के कर्मचारी/ सलाहकार और उसके करीबी परिवार को सार्वजनिक क्षेत्र में न होनेवाली और इसलिए अन्दरूनी अप्रकाशित होनेवाली जानकारी के आधार पर कोई लाभ या सलाह स्नेहा या उसके लाभार्थी, फंडर्स या सप्लायर्स के सम्बन्ध में कोई जानकारी नही मिलेगी और ना ही वह दूसरों को इस वजह से कोई लाभ लेने के लिए सहायत कर सकेगा|

ऐसी अन्दरूनी जानकारी में अन्य कई मुद्दों के साथ निम्न का समावेश हो सकता है:

a) फंडर्स, फंड की स्थिति

b) प्रोजेक्ट प्लैन्स

c) योजनाओं की पुनर्रचना

d) करार के विधान

e) निवेश का निर्णय और योजना

f) लाभार्थी तथ्य/ जानकारी

स्नेहा का कर्मचारी अन्य स्टेकहोल्डर्स, उनके पालक, बौद्धिक सम्पदा अधिकार, ट्रेडमार्क्स और शोध कार्य से जुड़ी जानकारी की गोपनीयता का भी आदर करेगा और उसे बनाए रखेगा और किसी भी स्थिति में उसे जाहीर नही करेगा| स्नेहा में होने तक और स्नेहा से इस्तीफा देने के बाद भी सभी कर्मचारि एवम् सलाहकारों द्वारा जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है|

विधान:20

स्नेहा स्टाफ द्वारा संस्था के संसाधनों की रक्षा

स्नेहा के संसाधनों का गलत इस्तेमाल नही होना चाहिए; जिनके लिए वे अधिकृत रूप से लिए गए हैं, वही गतिविधियाँ करने के उद्देश्य से मुख्य रूप से और सुझबुझ के साथ उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए| उनमें मूर्त संसाधनों

का समावेश होता है जैसे उपकरण, सिस्टीम्स, सुविधाएँ, सामग्री और साधन और उनके साथ अमूर्त संसाधनों का भी समावेश होता है जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, प्रोप्रायटरी इन्फॉर्मेशन, बौद्धिक सम्पदा, अनुसंधान आदि| किसी कर्मचारी/ सलाहकार को उसके कार्य को करने के लिए दिए जानेवाले कोई भी संसाधन स्नेहा से इस्तीफा देने के समय अच्छी कार्य की स्थिति में लौटाने चाहिए| कर्मचारी ने इस्तीफा देने के बाद या कॉंट्रॅक्ट समाप्त होने के बाद भी सभी अमूर्त संसाधन स्नेहा के पास ही रहेंगे और वे बाहर साझा नही किए जा सकेंगे|

विधान:21

नागरिकता

अपने व्यक्तिगत तौर पर स्नेहा के कर्मचारी और सलाहकारों का नागरी या सार्वजनिक कार्यों में सहभाग सीईओ की स्पष्ट मान्यता के बाद ही हो सकेगा और इस सहभाग के लिए स्नेहा के अन्य कार्यों पर उसका कुछ भी असर न होना आवश्यक रहेगा|

विधान:22

जानकारी की विश्वसनीयता

स्नेहा के हर कर्मचारी/ सलाहकार हमेशा यह ध्यान रखेगा कि उसके द्वारा संस्था को दी गई जानकारी सच्ची और विश्वसनीय हो| जानकारी की गोपनीयता बनाए रखे जाने के लिए सिर्फ वह ही जिम्मेदार रहेगा और किसी भी परिस्थिति में वह कर्मचारी ऐसी जानकारी किसी बाहर के व्यक्ति/ पक्ष को सामान्य कार्य के दौरान और प्रबन्धन की बताए गए निर्देश या उनकी मान्यता के बिना किसी से साझा नही करेगा|

विधान *23:*

आतंकवाद और मानवीय तस्करी पर प्रतिबन्ध

स्नेहा के हर कर्मचारी/ सलाहकार को आतंकवाद और मानवीय तस्करी में या उससे जुड़े व्यक्ती और संस्थाओं को संसाधन या अन्य सहायता देने के किसी भी गतिविधि में किसी भी रूप से सहभाग लेने से प्रतिबंध किया गया है|

विधान:24

मुद्दे उठाना

स्नेहा का हर कर्मचारी/ सलाहकार जब इस आचार संहिता के संभाव्य या वास्तविक उल्लंघन की घटना के बारे में जानेगा या किसी तरह का गलत वर्तन, हानिकारक वर्तन या स्नेहा के हित में न होनेवाली गतिविधि के बारे में जानेगा, तो वह तुरन्त प्रबन्धन को उसकी जानकारी देगा| सप्लायर्स और पार्टनर्स को भी ऐसी रिपोर्टिंग सुविधा उपलब्ध की जानी चाहिए|

स्नेहा की विसलब्लोअर नीति के तहत सुरक्षित रूप से ऐसी जानकारी बताने का विकल्प स्नेहा का कोई भी कर्मचारी तय कर सकता है|

ऐसे मुद्दा उठानेवाले व्यक्ति को सुरक्षा देने की पुष्टि स्नेहा द्वारा की जाएगी और उसे दबाने का कोई प्रयास होता है तो उसे इस आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा|

टिप्पणियाँ

लागू कानून, संस्था की नीतियाँ, प्रक्रियाएँ और कार्य के नियम के बारे में खुद को अभ्यस्त करने का एक अविरत दायित्व कर्मचारियों और सलाहकारों का होता है| हर कर्मचारी को अनिवार्य रूप से स्नेहा की आचार संहिता पढ़नी और समझनी है तथा अनुबन्ध A में दिए गए स्वयं- घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने है जिससे यह प्रमाणित हो जाएगा कि उन्होने स्नेहा की आचार संहिता समझी है और वे उसके प्रति प्रतिबद्ध है| समय समय पर किए जानेवाले अनुरोध के अनुसार कर्मचारियों को नियमित रूप से इस स्वयं- घोषणापत्र को पढ़ कर उस पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा|

X----------X----------X

अनुबन्ध A: कर्मचारी/ सलाहकार का स्वयं

घोषणापत्र

स्नेहा आचार संहिता

मैने स्नेहा आचार संहिता समझी है और इस आचार संहिता में दी गई संकल्पनाएँ, स्थिति और विधानों को समझा है| स्नेहा में मेरे कार्य काल के दौरान इस आचार संहिता में दिए गए प्रावधानों के पालन के लिए मै मेरी प्रतिबद्धता घोषित करता हूँ और स्नेहा से इस्तीफा देने के बाद भी जो प्रावधान मुझ पर लागू रहेंगे, उसके लिए भी मै प्रतिबद्ध रहूँगा|

कर्मचारी/ सलाहकार का नाम: .....

कर्मचारी/ सलाहकार का कोड: .....

हस्ताक्षर: .....

डॉक्युमेंट पर हस्ताक्षर करने का दिनांक: .....

प्रवेश का दिनांक: .....